भारत का कोविड -19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज: चरण II

drishtiias.com/hindi/printpdf/india-covid-19-emergency-response-package-phase-ii

प्रिलिम्स के लिये:

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, जीनोम अनुक्रमण, ई-संजीवनी

मेन्स के लिये:

कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने हेतु कानूनी प्रावधान व सरकरी प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है।

> इसमें 20,000 अतिरिक्त आईसीयू (गहन देखभाल इकाई) बिस्तरों के लिये धन और देश में कोविड -19 की संभावित तीसरी लहर से पहले सभी ज़िलों में बाल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना शामिल है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- **चरण I का पैकेज:** मार्च 2020 में जब देश कोविड-19 महामारी की पहली लहर का सामना कर रहा था, तब 15,000 करोड़ रुपए की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना “भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज” ("India Covid-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Package) की घोषणा की गई थी।
  - इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को गति देने एवं महामारी के प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य प्रणाली की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना था।
- फरवरी 2021 के मध्य से देश एक दूसरी लहर का अनुभव कर रहा है जो ग्रामीण, शहरों के बाहर और आदिवासी क्षेत्रों में फैल गई है।

चरण II का पैकेज:

- पैकेज के दूसरे चरण में केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector- CS) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes- CSS) के घटक शामिल हैं।
    केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को पूरी तरह से वित्तपोषित करती है, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।
- इसे 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक लागू किया जाएगा।

उद्देश्य:

- इसमें सभी 736 ज़िलों में बाल चिकित्सा इकाइयों के लिये धन और 20,000 आईसीयू बिस्तरों की स्थापना शामिल है, जिनमें से 20% "हाइब्रिड" यानी वयस्कों और बच्चों दोनों हेतु होंगे।
    कोविड-19 की तीसरी लहर से बच्चों के पहले से ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका है।
- इसका उद्देश्य ऑक्सीजन के परिवहन की सुविधाओं और दवाओं की कमी सहित दूसरी लहर के दौरान देखी गई समस्याओं को दुबारा होने से रोकना है।
- केंद्र अपने अस्पतालों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों और राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य संस्थानों को कोविड-19 प्रबंधन के लिये 6,688 बिस्तरों के पुनर्निमाण हेतु सहायता प्रदान करेगा।
- **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र** (National Centre for Disease Control) को **जीनोम अनुक्रमण** (Genome sequencing) मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- यह पैकेज राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म और **ई-संजीवनी** के विस्तार के लिये भी प्रदान किया जाएगा, जिसमे दैनिक परामर्श को वर्तमान के 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर कर दिया जाएगा।
- राज्यों को एक दिन में कम-से-कम 21.5 लाख परीक्षण करने और 8,800 एम्बुलेंस जोड़ने के लिये सहायता प्रदान की जाएगी।

स्रोत: पी.आई.बी.